

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/IIIA के ग्रुप डी-11 में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-11) पे-मेट्रिस में लेवल-16 में वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक(मुख्य एवं रिव्यू) की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर कार्मिकों का चयन किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था-एबी/बी-111/डीपीसी/प्रधानाचार्य/20-21(नियमित) दिनांक:-27.07.2021 द्वारा चयन किया गया। उक्त चयनित कार्मिकों के पदस्थापन जरिये काउंसिलिंग में उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर आदेश दिनांक 08.09.2021 को जारी किये जाकर दिनांक 18.09.2021 तक कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त चयनित/पदस्थापित कार्मिकों में निम्नांकित कार्मिक जो डीपीसी वर्ष 2019-20 से ही प्रधानाचार्य उमावि के पद पर कार्यरत थे के सम्बन्ध में जारी पदस्थापन आदेश दिनांक 08.09.2021 तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाकर इन्हे वर्तमान पद पर ही वर्ष 2020-21 की प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद की रिक्तियों के विरुद्ध चयनोपरांत यथावत पदस्थापित किया जाता है। संबंधित नियंत्रण अधिकारी इनके इनके नवीन चयन के आधार पर वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यवाही करवाया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें

S.No	Serial No	Age	Serial No	Name	DOB	Selection Date	Category	Present Posting Place	District
1	453	0	2014-15	Ram Roop Jatav	23-07-1966	01-04-2020	S C	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHITAL (223695) (08270516405)	DUN GARP UR
2	455	0	2014-15	Satyanarayan	28-11-1968	01-04-2020	S C	Govt. Sr. Sec. School, THAWARIYA	bikaner
3	75	0	2016-17	Sagar Mal Jat	21-01-1964	01-04-2020	-	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UMADA SIKAR	SIKAR

सत्यमेव जयते

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/डीपीसी-2020-21/पदस्थापन/पदो.परि./6-03 दिनांक:-15.12.2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
05. संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा।
06. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
07. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक।
08. संबंधित मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को पालनार्थ।
09. संबंधित संस्था प्रधान को पाबन्द किया जाता है कि संबंधित सीवीईओ कार्यालय से सम्पर्क कर उक्त आदेश के आधार पर डीपीसी चयन का इन्द्राज सेवापुरितका में आवश्यक रूप से करवाने के साथ-2 शाला दर्पण में भी आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है वे उपर्युक्त पदोन्नति परित्याग का इन्द्राज शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से जरिये संस्था प्रधान करेंगे।
11. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3।
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)